

-: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा विक्रान्त कुमार शर्मा, प्रा. स्वा. केन्द्र रिछेड, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राजस्थान) 313337	1	25-07-73	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र रिछेड (राजसमंद)
2.	डा अजयराजसिंह हाडा, 524, गेट नं. 5, रजत कॉलोनी, बून्दी, पिन-323001	2	09-02-74	Gen-M	सामु0स्वा0केन्द्र नोरगदेसर (हनुमानगढ)
3.	डा. मनोज कुमार गुप्ता 90/81, पटेल मार्ग, इनसरोवर, जयपुर (राज.) 302020	9	19-02-74	Gen-M	सामु0स्वा0केन्द्र धोध (सीकर)
4.	डा. अन्तरिक्ष जोशी आर्शीवाद कृष्णा वाटिका-प, प्लॉट नं. 23-24, मधुबन, सैंती चित्तौडगढ (राज.)	17	19-04-77	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र धमाना (चित्तौडगढ)
5.	डा. मीनाक्षी शर्मा 68/323, प्रतापनगर सेक्टर 6, रा. टा. बोर्ड, सांगानेर, जयपुर (राज.) 303906	26	10-08-77	Gen-F	सामु0स्वा0केन्द्र गुहाला (सीकर)
6.	डा. दशरथ लाल आंजना पुत्र श्री राम लाल आंजना, गांव मरजीवी, तह0 निम्बाहेडा, चित्तौडगढ - 312601	70	21-06-78	Gen-M	सामु0स्वा0केन्द्र बारावरदा (प्रतापगढ)
7.	डा. सुमन सैनी 32 ए, गणेश कॉलोनी, परिवहन नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर	80	02-06-83	Gen-F	सामु0स्वा0केन्द्र हाडेचा (जालोर)
8.	डा. सीताराम चोयल रूम नं. 123, पी.जी. बॉयज हॉस्टल, जे. एल.एन. मार्ग, मेडिकल कॉलेज अजमेर	114	11-07-78	OBC-M	सामु0स्वा0केन्द्र बोरावड (नागौर)
9.	डा. ओम प्रकाश, बजरंग स्टूडियो, बस स्टेण्ड, दुन्दाडा, जोधपुर-342801	124	28-08-81	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र सरदारसमंद (पाली)
10.	डा. घनश्याम सिंह, ग्राम जटका, पोस्ट महोन्द, तह0 के. जी. बास, अलवर-301405	149	01-02-82	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र भगेरीकलां (अलवर)
11.	डा0 ओम प्रकाश मीणा, पुत्र श्री कजोड मल मीणा, गांव बहनोली पो0 पीपलवाडा, त0 बाँली जिला सवाईमाधोपुर (राज0)-322023	162	15-07-80	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र फतेहपुरा (करौली)




12.	डा. सियाराम डिडेल, द्वारा श्री जी.एस. राठौड़, सी-127, सिंह भूमि, भवानी मार्ग, खातीपुरा, जयपुर-302012	171	20-08-82	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र तोषिणा (नागौर)
13.	डा. साहब सिंह, ग्राम बाँसरोली, पोस्ट लहचोरा कलॉ, तह0 बयाना, जिला भरतपुर -321401	179	01-10-78	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र बरुन्दनी (भीलवाडा)
14.	डा. अनिल कुमार सैनी, पुत्र श्री रामनिवास सैनी, पुलिस का मोहल्ला, छावनी, नीमकाथाना, सीकर -332713	182	28-02-79	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र दिवराला (सीकर)
15.	डा. अशोक कुमार कुलदीप, एस.पी. मेडिकल कॉलेज, इन्टर्न हॉस्टल, रूम नं. 43, बीकानेर	202	01-02-80	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र कानोता (चुरु)
16.	डा. रामराज मीणा, द्वारा प्रकाश चन्द, एन्टरप्राइजेज ओसवाल मील के पास, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर-322201	218	01-05-81	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र जैतसीसर (चुरु)
17.	डा. चन्द्रभान, पुत्र श्री जयनारायण, रूम नं. 63, सीनियर बॉयज हॉस्टल, र.ना.टै. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर-313001	234	20-07-77	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र कोल्यारी (उदयपुर)
18.	डा. बाबूलाल बंशीवाल, द्वारा रमेश चन्द्र बैरवा, ए-112, महेश नगर, टोक फाटक, जयपुर-302015	235	05-07-78	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र रोपा (भीलवाडा)
19.	डा. कृष्णा मीणा, पुत्री श्री सियाराम मीणा, 2-बी/6, सरस्वती कॉलोनी, बांरा रोड, कोटा-324001	248	28-04-80	ST-F	सामु0स्वा0केन्द्र सारोलाकलां (झालावाड)
20.	डा. मन्जू सैनी, पुत्री श्री खेमचन्द सैनी, 212, विवेकानन्द नगर, काला कुआँ हाऊसिंग बोर्ड के पास, अलवर-301001	249	31-01-83	OBC-F	सामु0स्वा0केन्द्र बर्डीद (अलवर)
21.	डा. रीना, कन्दोई अस्पताल, सोनडी बस अड्डे के पास, नोहर, हनुमानगढ	253	19-09-76	SC-F	सामु0स्वा0केन्द्र गोलूवाला (हनुमानगढ)
22.	डा. मुकेश कुमार, रूम नं. 61, सीनियर बॉयज हॉस्टल, आर. एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	254	10-01-80	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र बलीवा (उदयपुर),
23.	डा. वन्दना महेश वर्मा, पत्नि श्री महेश वर्मा, क्वा0 सं. 1, पी.एच. सी. पडिहारा, रतनगढ, चुरु	259	08-07-76	SC-F	प्रा0स्वा0केन्द्र पडिहारा (चुरु)

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 22-क के तहत इन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात 3 वर्ष की कालावधि के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी अनिवार्य होगी।

2

राजस्थान, जयपुर।
 शिक्षिका एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
 (जन स्वास्थ्य) कां. 2010



आदेश क्र 1823/06 / 01/06/02

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षिकाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित सूचना जारी की जा रही है।

- 1) शिक्षिकाओं की संख्या 1000 होगी।
- 2) शिक्षिकाओं की उम्र 25 से अधिक नहीं होगी।
- 3) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।
- 4) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।
- 5) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।
- 6) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।
- 7) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।
- 8) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।
- 9) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।
- 10) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।
- 11) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

राजस्थान, जयपुर।
 शिक्षिका एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
 (जन स्वास्थ्य) कां. 2010



इस पत्र के माध्यम से शिक्षिकाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए सूचना जारी की जा रही है।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षिकाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित सूचना जारी की जा रही है।

1) शिक्षिकाओं की संख्या 1000 होगी।

2) शिक्षिकाओं की उम्र 25 से अधिक नहीं होगी।

3) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

4) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

5) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

6) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

7) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

8) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

9) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

10) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।

11) शिक्षिकाओं की उच्चतम शिक्षा स्तर में बी.ए. होना आवश्यक है।